65

अति महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या: 12 / 2021 / 912 / छिहत्तर–1–2021–6सम / 2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ: दिनॉक 16 मार्च, 2021

विषयः– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु मे पेयजल समस्या के त्वरित समाधान विषयक शासनादेश संख्या–797 / छिहत्तर–1–2020–06 सम / 2017, दिनांक 06 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या–804 / छिहत्तर–1–2020–06सम / 2017, दिनांक 15 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या–798 / छिहत्तर–1–2020–06सम / 2017, दिनांक 06 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या–799 / छिहत्तर –1–2020–06 सम / 2017, दिनांक 06 अप्रैल, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद मे नोडल अधिकारी नामित कर कन्ट्रोल रूम स्थापित करने तथा प्रशासनिक मशीनरी को लगातार अलर्ट किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

2– वर्तमान वर्ष में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की गम्भीर समस्या वाले क्षेत्रो, विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों यथा झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट एवं बुन्देलखण्ड जैसे भौगोलिक स्थिति वाले प्रदेश के अन्य जनपदो यथा–सोनभद्र, मीरजापुर, आगरा, फतेहपुर, चन्दौली, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, तथा मथुरा सहित ऐसे जनपदों जहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल का संकट उत्पन्न हो सकता है, मे पेयजल व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:

1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त जनपदो में उपलब्ध पेयजल स्रोतों (इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों / पाइप पेयजल योजनाओं / टी0टी0एस0पी0 आदि) को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए ग्रामीण आबादी को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।
2. समस्त जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घटे "एलर्ट" पर रखा जाय, ताकि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु मशीनरी सक्रिय रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कर सके।
3. प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रो मे ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या की सूचना ग्रामीण जनता से प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचना के आधार पर पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय, जिसे जनपद के तहसीलों / विकास खण्डों / ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाय। जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एव कन्ट्रोल रूम के लैण्ड लाइन एवं

D:\Old computer 2021\Sukha GO Sukha 2021.docx

मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से तहसीलों/ विकास खण्डो/ ग्राम पंचायतों आदि में प्रसारित किये जाय।

4. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग सम्बन्धी नियमों का भी पालन किया जाय।
5. सभी खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक करा दिए जाए पर्याप्त संख्या में प्याऊ की व्यवस्था कराई जाए तथा सभी सरकारी परिसरों यथा– कलेक्ट्रेट, तहसील, थाना, अस्पताल इत्यादि में घडे/ प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य व्यवस्था कराकर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा हैण्डपम्प के साथ चरही भी बनवाई जाय।यह भी सुनिश्चित करें कि घडे/ प्याऊ की यह व्यवस्था जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध हो।
6. उपरोक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से जिन लोगों के घरों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पा रही हो उनके घरों तक पूर्व वर्षों की भांति वांछित टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाय। वांछित टैंकरों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाए एवं उपलब्ध टैंकरों को ड्राइवरों के साथ लिंक कर सूचीबद्ध कर लिया जाय।

   यह कार्यवाही पूर्ण कराते हुए जनपदवार कार्य योजना दिनांक 01.04.2021 तक पूर्ण कराकर तदनुसार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एव स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 लखनऊ, मो0न0–8933976000 ई–मेल आई0डी0–ed.swsmup@rediffmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोलरूम का विवरण/दूरभाष नम्बर, नामित नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम/कार्यालय का विवरण व मोबाइल नम्बर, शासन/अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के ई–मेल आई0डी0–(ed.swsmup @rediffmail.com, ed.jjmup@gmail.com) पर उपलब्ध कराया जाये। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर प्रतिदिन शासन को अपरान्ह 4:00 बजे तक उपलब्ध कराये।
8. नोडल अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल समस्या सम्बन्धी प्राप्त समस्त शिकायतो को एक रजिस्टर में दर्ज कराते हुए प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई–मेल (ed.swsmup@rediffmail.com) पर उपलब्ध करायें:–

क0सं0	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक	शिकायतकर्ता का मोबाइल नं0	शिकायतकर्ता का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण	शिकायत का निस्तारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-212/2021/912 (1)/छिहत्तर–1–2021–6सम/2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी।
5. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D:\Old computer\2020\Sukha\GO Sukha 2018.docx